न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, ब्यावर (जिला–अजमेर)
पीठासीन अधिकारी– श्वेता चौहान (आई.ए.एस.)
राजस्व विविध प्रार्थना पत्र संख्या 03/2020 (2020/00022)

राजस्थान सरकार बजरिये तहसीलदार लैण्ड होल्डर ब्यावर, जिला–अजमेर

.........................प्रार्थी

बनाम

1. ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत नून्द्री मालदेव तहसीलदार ब्यावर (राज.)
2. सरपंच, ग्राम पंचायत–नून्द्री मालदेव, तहसील ब्यावर, जिला अजमेर।

................अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

आदेश दिनांक : 02.09.2020

प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर सारांशतः कथन किए कि भूमि हाल खसरा संख्या 311/1 कुल रकबा 07–13–10 बीघा किस्म आबादी, खसरा संख्या 316 कुल रकबा 00–01–00 किस्म आबादी एवं खसरा संख्या 317/1 कुल रकबा 08–16–10 बीघा किस्म आबादी, आबादी ग्राम पंचायत नून्द्री मालदेव के नाम खसरा नम्बर 311/2 रकबा 02–11–00 किस्म सड़क व खसरा नम्बर 317/2, रकबा 03–13–00 किस्म सड़क, सड़क एवं भूतल परिवहन मंत्रालय भारत सरकार के नाम राजस्व रेकार्ड जमाबन्दी संवत् 2070–73 में दर्ज चली आ रही है। ग्राम गणेशपुरा की जमाबन्दी संवत् 2041 व मिलान क्षेत्रफल के अनुसार खसरा संख्या 311 का रकबा 10–04–10 व ख.नं. 316 का रकबा 00–01–00 एवं ख.नं. 317 का रकबा 12–09–10 दर्ज है, जो नक्शा लंक लाट के अनुसार आदिनांक तक गलत दर्ज चले आ रहे हैं। ग्राम गणेशपुरा के नक्शा लंक लाट अनुसार रकबा बरारी करने पर खसरा नम्बर 311 का रकबा 05–03–00 व खसरा नम्बर 317 का रकबा 04–17–00 ही बनता है जबकि खसरा नम्बर 316 का रकबा अधिक है एवं राजस्व रिकार्ड में मात्र रकबा 00–01–00 दर्ज चला आ रहा है जो पूर्णतः गलत है एवं नकल नक्शा ट्रेस से स्पष्ट है। खसरा नम्बर 311 के रकबा 10–04–19 को रकबा बरारी अनुसार 05–03–00, खसरा नम्बर 317 के रकबे 12–09–10 को रकबा बरारी अनुसार 04–17–00 दर्ज किया जाकर दोनों खसरों के अधिशेष रकबे क्रमशः 05–01–10 व 07–12–10 कुल रकबा 12–14–00 को खसरा संख्या 316 के रकबे में मर्ज कर खसरा नम्बर 316 का 00–01–00+12–14–00 कुल रकबा 12–15–00 दर्ज किया जाना न्यायोचित होगा। संलग्न नक्शा अनुसार खसरा संख्या 311 की भूमि में से मौके पर भूमि सड़क हेतु अवाप्त नहीं हुई है। अतः खसरा संख्या 311 में से अवाप्तशुदा रकबे 02–11–00 को अवाप्ति से मुक्त कर उक्त रकबा खसरा संख्या 316 की भूमि में से अवाप्त होना सही है। अतः ग्राम गणेशपुरा के नक्शा ट्रेस अनुसार खसरा संख्या 311/1 रकबा 07–13–10 के स्थान पर खसरा संख्या 311 रकबा 05–03–00 किस्म आबादी व खसरा संख्या 316 रकबा 00–01–00 के स्थान पर खसरा संख्या 316/1 रकबा 10–04–00 व खसरा संख्या 317/1 रकबा 08–16–10 के स्थान पर खसरा संख्या 317/1 रकबा 01–04–00 किस्म आबादी, आबादी ग्राम पंचायत नून्द्री मालदेव के नाम एवं खसरा संख्या 311/2 रकबा 02–11–00 के स्थान पर खसरा संख्या 316/2 रकबा 02–11–00 व खसरा संख्या 317/2 रकबा 03–13–00 के स्थान पर खसरा संख्या 317/2 रकबा 03–13–00 इन्द्राज दुरूस्ती के आदेश प्रदान करवाने के कथन प्रार्थना पत्र में अंकित किये।

प्रार्थना पत्र प्राप्त होने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को जरिए नोटिस तलव किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 पूर्व में स्वयं उपस्थित रहे हैं, परन्तु किसी प्रकार का कोई जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया, अतः इनके जवाब प्रार्थना पत्र हक वंद किये गये।

बहस प्रार्थी सुनी गई जिनके कथन कमोबेश उनके प्रार्थना पत्र अनुसार ही रहे तथा इन्द्राज दुरूस्ती करने का निवेदन किया।

(श्वेता चौहान)
उपखण्ड अधि. एवं सहायक कलक्टर
ब्यावर

..................लगातार

बहस के परिप्रेक्ष्य में पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन प्रार्थी तहसीलदार ब्यावर द्वारा प्रस्तुत इस प्रार्थना पत्र के समर्थन में पेश किये गये दस्तावेजात में उनके पत्रांक भूअ / 7029 दिनांक 23.12.2019 प्रस्तुत किया है। नक्शा ट्रेस की प्रतिप्रस्तुत की है। ग्राम गणेशपुरा की जमाबन्दी की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत की है जिसके खाता संख्या नया 350 पुराना 353 में अंकित खसरा संख्या 311 / 1 रकबा 07–13–10 किस्म आबादी, खसरा संख्या 316 रकबा 00–01–00 किस्म आबादी एवं खसरा संख्या 317 / 1 रकबा 08–16–10 किस्म आबादी जो कि आबादी ग्राम पंचायत नून्द्रीमालदेव के नाम दर्ज होना पाया गया। एवं इसी प्रकार ग्राम गणेशपुरा की जमाबन्दी संवत् 2070–73 की प्रमाणित जमाबन्दी प्रस्तुत की है जिसके खाता संख्या 359 में अंकित खसरा संख्या 311 / 2 रकबा 02–11–00 किस्म सड़क, 317 रकबा 03–13–00 किस्म सड़क जो सड़क एवं भूतल परिवहन मंत्रालय भारत सरकार के नाम दर्ज होना पाया गया। मिलान क्षेत्रफल एवं वर्किंग जमाबन्दी संवत् 2041 की छाया प्रति प्रस्तुत की है।

उक्त समस्त दस्तावेजी साक्ष्य एवं बहस के परिप्रेक्ष्य में यह पाया गया है कि उक्त प्रकरण धारा 136 भू राजस्व अधिनियम की श्रेणी में नहीं आता है क्योंकि इसमें किसी प्रकार की लिपिकीय त्रुटि होना नहीं पाया जाता है। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि उक्त प्रकरण में ग्राम गणेशपुरा की वादग्रस्त आराजियात की किस्म आबादी होकर ग्राम पंचायत क नाम दर्ज है एवं सड़क पविहन मंत्रालय के नाम से दर्ज है अर्थात् भूमियां सड़क हेतु अवाप्त की गई है जो कि एक विधिक प्रक्रिया के तहत बाद जांच ही अवाप्त की जाती है एवं दौराने अवाप्ति प्रक्रिया आपत्ति / एतराज भी संबंधित खातेदारान को रखने का अधिकार होता है जिस बाबत् भूमि अवाप्ति के समय कोई एतराज़ किया जाना नहीं पाया गया है एवं ना ही ऐसा कोई दस्तावेज प्रस्तुत किया है। ऐसी स्थिति में यह प्रकरण धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के परव्यू में नहीं आने से स्वीकार योग्य नहीं है तथा खारिज़ किया जाता है। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करें।

आदेश आज दिनांक 02.09.2020 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(श्वेता चौहान)
आई.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन
सहायक कलक्टर ब्यावर